न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 160/17
निर्णय दिनांकः 22.05.2018

1. गोपालीदेवी पत्नि स्व0 गोरूराम
2. मूलचन्द पुत्र स्व0 गोरूराम
3. मदनलाल पुत्र स्व0 गोरूराम
4. नानूराम पुत्र स्व0 गोरूराम

समस्त जाति कुमावत नि0 काजीपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

5. रीतादेवी पत्नि श्योराम पुत्री स्व0 गोरूराम
6. फूलीदेवी पत्नि जुझारमल पुत्री स्व0 गोरूराम

समस्त जाति कुमावत नि0 मीण्डा तह0 नांवा जिला नागौर राज0

7. सुशीला पत्नि रमेशचन्द पुत्री स्व0 गोरूराम
8. गट्टूदेवी पत्नि रामपाल पुत्री स्व0 गोरूराम

समस्त जाति कुमावत नि0 चारणवास तह0 फुलेरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. मांगी पत्नि लक्ष्मण जाति कुमावत नि0 काजीपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर
2. सरजूदेवी पत्नि गोपाललाल पुत्री स्व0 लक्ष्मण जाति कुमावत नि0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
3. संतरादेवी पत्नि गोरधन पुत्री स्व0 लक्ष्मण नि0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
4. किशनीदेवी पत्नि गणेशराम पुत्री स्व0 लक्ष्मण जाति कुमावत नि0 हरसोली बधाल तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
5. आंचीदेवी पत्नि हजारीलाल पुत्र स्व0 लक्ष्मण
6. तीजादेवी पत्नि स्व0 नेमाराम पुत्री स्व0 लक्ष्मण

समस्त जाति कुमावत नि0 हरसोल तह0 हरसोल जिला नागौर राज0

7. पूरणमल पुत्र स्व0 लक्ष्मण
8. रामदयाल पुत्र स्व0 लक्ष्मण
9. फूलचन्द पुत्र स्व0 लक्ष्मण
10. सोहनलाल पुत्र स्व0 लक्ष्मण
11. भूरीदेवी पत्नि स्व0 सुवालाल
12. मालचन्द पुत्र स्व0 सुवालाल

समस्त जाति कुमावत नि0 काजीपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

13. नाथी पत्नि चंदालाल पुत्री स्व0 सुवालाल जाति कुमावत हाल नि0 बोबास तह0 फुलेरा जिला जयपुर

...ड अधिकारी
...भर लेक

Scanned by CamScanner

/

14 मोनी पत्नि सत्यनारायण पुत्री स्व0 सुवालाल जाति कुम्हार साकिन निवासी तहसील पीसांगन जिला अजमेर राज0
15 भंवरी पत्नि मांगूराम पुत्री स्व0 सुवालाल जाति कुम्हार निवासी तहसील पीसांगन जिला अजमेर राज0
16 मोती पत्नि मूलचन्द पुत्री स्व0 सुवालाल जाति कुम्हार साकिन निवासी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
17 तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत इस्तकरार हक

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 16 एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो स्व0 परसाराम के वारिस व उत्तराधिकारी है। उक्त वंशावली के अनुसार स्व0 परसाराम के तीन पुत्र थे लक्ष्मण, सुवा, गोरूराम थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है इस प्रकार मृतक लक्ष्मण के प्रतिवादी सं0 1 लगा0 10 वारिस है तथा मृतक सुवा के प्रतिवादी सं0 11 लगा0 16 व मृतक गोरूराम के वादीगण वारिस है जो स्व0 परसाराम के संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो वैधानिक वारिस व उत्तराधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 16 के बुजुर्ग क्रमश लक्ष्मण, सुवा, गोरूराम अपने पिता के जीवनकाल से ही एक साथ एक ही परिवार में रहकर जीवनयापन करते थे तथा तीनों की संयुक्त आय से ही परिवार का खर्चा व भरणपोषण होता था तथा सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन भी संयुक्त रूप से किया जाता था इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण भी मृतक लक्ष्मण, सुवा, गोरूराम के संयुक्त परिवार के सदस्य है। मृतक लक्ष्मण, सुवा व गोरूराम ने अपने जीवनकाल में अपने परिवार की आय बढ़ाने व भरण पोषण हेतु कृषि क्रय करना तय किया तो गोविन्दनारायण पुत्र नाथू दर्जी ने ख0नं0 169 रकबा 44 बीघा वाके ग्राम काजीपुरा में अपने 1/4 हिस्सें का बेचान करने हेतु मृतक लक्ष्मण, सुवा व गोरूराम को कहा जिस पर तीनों ने मिलकर स्वेच्छा से उसके 1/4 हिस्सें को क्रय करना तय कर उसके 1/4 हिस्सें की आराजी का बेचान कर लक्ष्मण व गोरूराम का सहमति से सुवालाल पुत्र परसाराम के 1/8 हिस्सें का तथा रामलाल पुत्र कल्याण के नाम 1/ हिस्सें का इस प्रकार कुल 1/4 हिस्से का विक्रय पत्र रामलाल व सुवालाल के पक्ष में रजीयन करवा दिया जिसके आधार पर नामान्तकरण सं0 82 संवत् 2027 से 2030 स्वीकार कर 1/4 हिस्सें में से 1/8 की खातेदारी सुवा पुत्र परसाराम व 1/8 हिस्सें की खातेदारी रामलाल पुत्र कल्याण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की गई। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 16 के बुजुर्ग ख0नं0 169 रकबा 44 बीघा में 1/8 हिस्सें पर संयुक्त रूप से काबिज होकर उसका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करते रहे है जिनके स्वर्गवास पश्चात् वर्तमान में उक्त 1/8 हिस्सें की आराजी पर

अधिकारी

लेक

Scanned by CamScanner

वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 16 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है इस प्रकार उक्त आराजी में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 10 का संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सा निहित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण को मृतक लक्ष्मण, सुवा, गोरूराम की विरासत से प्राप्त हुआ है जो पक्षकारों द्वारा कुंआ तरमीम करवानें से वर्तमान जमाबन्दी में उक्त खं0नं. 169 रकबा 43 बीघा 18 विस्वा, खं0नं0 169/2 रकबा 1 बिस्वा, खं0नं0 1314/169 रकबा 1 विस्वा इस प्रकार कुल 44 बीघा दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 16 अपने अपने हिस्सें के नुसार 1/24, 1/24 हिस्सें की आराजी पर काबिज है व काश्त करते आ रहे है चूंकि उक्त आराजी की खातेदारी स्व0 सुवा के नाम लक्ष्मण व गोरूराम ने अपनी स्वेच्छा से दर्ज करवा दी थी जबकि विक्रय पत्र तीनों ने मिलकर पंजीयन करवाया था जब तक सुवालाल, लक्ष्मण व गोरूराम जीवित रहे उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ तथा खातेदारी में अके सुवा के नाम होने से सुवा ने भी कभी लक्ष्मण व गोरूराम का उनके हिस्सें की आराजी से काश्त करने से मना नहीं किया वर्तमान में भी वादीगण व प्रतिवादीगण इसी अनुसार काबिज है मृतक सुवा के वारिसों को वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 10 ने उनके हिस्सें की आराजी खातेदारी मे दर्ज करवानें हेतु जब जब भी कहा तो प्रतिवादी सं0 11 लगा0 16 ने वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 10 को हमेशा आश्वासन दिया की कब्जा काश्त आराजी पर है ही रही नाम दर्ज करवानें की तो प्रतिवादी सं0 11 लगा0 16 के नाम खातेदारी होते ही वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 10 आश्वस्त होकर आराजी का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वर्तमान में जमीनों की बाजार दर बढ़ी हुयी है तथा उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 11 लगा0 16 के बुजुर्ग सुवालाल पुत्र परसाराम के दर्ज हैं तथा उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम स्वीकृत करवाकर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 10 की हिस्सें की आराजी भी अपने नाम दर्ज करवानें पर उतारू है इस प्रकार वादीगण ने दिनांक 20.11.17 को प्रतिवादी सं0 11 लगा0 16 को कहा कि उनके 1/24 हिस्सें की आराजी खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाये तो प्रतिवादी सं0 11 लगा0 16 ने वादीगण का हिस्सा होने से स्पष्ट इंकार कर खातेदारी में नाम दर्ज करवानें से मना कर दिया इस कारण वादीगण को अपने हिस्सें की खातेदारी रिकोर्ड में अपने नाम दर्ज करवानें की घोषणा करवानें हेतु यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 16 की ओर से वकील श्री तेजपाल प्रजापत ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 11 लगा0 16 की तरफ से कबालिया जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण सं0 1 लगा0 8 मय वकील व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 16 मय वकील उपस्थित होकर

अधिकारी

बेक

Scanned by CamScanner

राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र काजीपुरा में पेश हुयी। पक्षकारान मय वकील उपस्थित आये। राजीनामा तस्दीक किया गया।

पक्षकारान वकीलों ने मुताबिक राजीनामा वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिस पर पत्रावली व राजीनामें का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद बाबत इस्तकरार हक का राजस्व लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा इस आशय की डिक्री फरमाया जाता है कि आराजी खं0नं0 169 रकबा 44 बीघा जिसके तरमीम खं0नं0 169, 169/2, 1314/169 किता 3 कुल रकबा 44 बीघा वाकै ग्राम काजीपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में मृतक सुवालाल पुत्र परसाराम के 1/8 हिस्सें में से वादीगण संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सें तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 10 संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सें, प्रतिवादी सं0 11 लगा0 16 संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सें के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प काजीपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

गोपालीदेवी वगै० बनाम मांगीदेवी वगै०

दावा बाबत इस्तकरार हक

मुकदमा नंबर 160/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लालचन्द कुमावत व हाजरी श्री तेजपाल प्रजापत मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद बाबत इस्तकरार हक का राजस्व लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा इस आशय की डिक्री फरमाया जाता है कि आराजी ख०नं० 169 रकबा 44 बीघा जिसके तरमीम ख०नं० 169, 169/2, 1314/169 किता 3 कुल रकबा 44 बीघा वाकै ग्राम काजीपुरा तह० फुलेरा जिला जयपुर राज० में मृतक सुवालाल पुत्र परसाराम के 1/8 हिस्सें में से वादीगण संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सें तथा प्रतिवादी सं० 1 लगा० 10 संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सें, प्रतिवादी सं० 11 लगा० 16 संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सें के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ....निज .... मुबलिग.. बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत..............

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner